भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1132
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

निःशुल्क विधिक सेवाएं

1132. श्री देवजी पटेल
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री बसंत कुमार पंडा :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री दिलीप शइकीया :
श्री रणजितसिंह नाईक निम्बालकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार का समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करके अनुच्छेद 39क के अंतर्गत अपने संवैधानिक कर्तव्य को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ;
(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एनएएलएसए, दिशा और न्याय बंधु जैसी एजेंसियों के प्रभाव और योगदान का ब्यौरा क्या है ; और
(ग) वंचित समूहों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ध्यान रखते हुए विधिक सहायता प्रदान करने में टेली-लॉ की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है जो विभिन्न राज्यों में विद्यमान भिन्नताओं का संकेत है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : जी हाँ । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन गठित विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987, अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाओं के लिए उपबंध करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से नहीं वंचित किया जाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय का संवर्धन करे ।

इस प्रयोजन के लिए , तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों /कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लिनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालतें एवं पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन सम्मिलित हैं । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की गई क्रियाकलापों /कार्यक्रमों का विवरण उपाबंध-क पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग ने विधिक सेवाओं की आसान, सुलभ और वहनीय परिदान का उपबंध करने के लिए न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) नामक एक स्कीम

शुभारंभ किया । इसकी प्रमुख पहलों में टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंच सम्मिलित है जिसका लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर सभी नागरिकों को मुकदमेबाजी पूर्व सलाह और परामर्श को मजबूत करना है और न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) जिसका लक्ष्य भारतीय प्रो बोनो डिस्पेंसेशन ढांचे को विधिक सेवाओं के वितरण के लिए समर्थ करना है। टेली-लॉ सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेली/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेली-लॉ सिटीजन्स मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लाभार्थी को वकील से जोड़ने का प्रयास करता है। 30 नवंबर 2023 तक , टेली-लॉ सेवाएं 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के 766 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं और 60,23,222 लाभार्थियों को विधिक सलाह प्रदान की गई हैं। इसमें (21.49 लाख) महिलाएं, (19.23 लाख) अनुसूचित जाति, (9.33 लाख) अनुसूचित जनजाति (18.64 लाख) ओबीसी आदि सम्मिलित हैं। न्याय बंधु मंच इच्छुक लोगों के बीच न्याय बंधु एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध) पर सहज जुड़ाव सक्षम बनाता है। प्रो बोनो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन अधिवक्ता और रजिस्ट्रीकृत लाभार्थी नि:शुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं । 30 नवंबर, 2023 तक, 10629 प्रो बोनो अधिवक्ता हैं और 89 विधि स्कूलों ने विधि के छात्रों के बीच प्रो बोनो की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रो बोनो क्लब का गठन किया है ।

****

उपाबंध-क

नि:शुल्क विधिक सेवाओं के वितरण श्री देवजी एम पटेल और सात अन्य संसद्-सदस्य द्वारा लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1132, जिसका उत्तर 08.12.2023 को दिया जाना है, के लिए निर्दिष्ट विवरण

विधिक सहायता एवं सलाह:

वर्ष	पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति	सलाह/परामर्श के माध्यम से व्यक्तियों को लाभ हुआ	अन्य सेवाओं के माध्यम से व्यक्तियों को लाभ हुआ	कुल
2022-23	2,91,410	6,39,230	2,84,129	12,14,769
2023-24 (सितंबर 23 तक)	1,65,362	3,92,999	1,87,354	7,45,715

विधिक जागरूकता कार्यक्रम:

वर्ष	आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
2022-23	4,90,055	6,75,17,665
2023-24 (सितंबर 23 तक)	1,93,605	1,76,93,492

विधिक सेवाएं/सशक्तीकरण शिविर :

वर्ष	2022
आयोजित शिविरों की संख्या	38,541
सभी शिविरों में लाभार्थियों की संख्या	1,15,10,207

विधिक सेवा क्लिनिक:

वर्ष	2022-23		2023-24 (सितंबर, 23 तक)	
श्रेणियाँ	विधिक सेवा क्लिनिक	विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	विधिक सेवा क्लिनिक	विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
विधि कॉलेजविश्वविद्यालय/	1,093	37,351	1,025	9,520
गांवों	4,134	2,82,140	3,953	1,15,321
सामुदायिक केंद्र	776	88,638	744	39,174
न्यायालय	904	1,16,563	936	66,921
जेलों	1,177	2,64,593	1,200	1,55,588
जेजेबीऑब्जर्वेशन /सीडब्ल्यूसी/ होम	439	29,280	454	21,151
पूर्वोत्तर के लोगों के लिए	64	1,170	52	348
अन्य	3,124	1,94,729	2,771	88,674
कुल	11,711	10,14,464	11,135	4,96,697

लोक अदालते:

राष्ट्रीय लोक अदालतें

	मुकद्मा पूर्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया	लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया	निपटाए गए कुल मामले
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023-24 (सितंबर, 23 तक)	4,94,88,552	1,06,83,225	6,01,71,777

राज्य लोक अदालत

	मुकद्मा पूर्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया	लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया	निपटाए गए कुल मामले
2022-23	94.939	7,56,370	8,51,309
2023-24 (सितंबर, 23 तक)	42,352	6,10,724	6,53,076

स्थाई लोक अदालतें (सार्वजनिक उपयोगता सेवाए)

वर्ष	मामले सुलझाए गए
2022-23	1,71,138
2023-24 (सितंबर, 23 तक)	1,10,412

पीड़ित प्रतिकर योजनाओं का कार्यान्वयन:

वर्ष	प्रतिकरदिया गया
2022-23	4,47,80,37,352/-
2023-24 (सितंबर, 23 तक)	1,97,09,14,235/-

****